(50)

Annexure-I

FORM-I

(for linear projects)
Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector
Mirzapur
*****

No. 232 / D.L.R.C. Dated 03.01.19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intimated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF'S letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.2322 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Electricity Transmission Division, U.P. Power Transmission Corporation Limited Mirzapur for construction of LILO of 132KV Mirzapur-Jigna line for enerzisation of 132KV S/S Lalganj at Mirzapur district falls within jurisdiction of Rajapur village in Lalganj tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.2322 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-II to annexure-III.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

District Social Welfare Officer
जिला समाज कल्याण अधिकारी
Mirzapur
मीरजापुर

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
मीरजापुर

जिला स्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 26.12.18 को वन अधिकार 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) की बैठक आहूत की गयी है।

उक्त बैठक उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 (उ0प्र0सरकार का उपक्रम) द्वारा निर्मित की जा रही 132 के0वी0 उपकेन्द्र लालगंज को ऊर्जीकृत करने हेतु निर्माणाधीन 132 के0वी0 डबल सर्किट पारेषण लाइन (132 के0वी0 मीरजापुर–जिगना सर्किट द्वितीय का लीलो) के निर्माण हेतु हस्तानान्तरित की जाने वाली आरक्षित वन भूमि अराजी सं0 1 च पुरानी अराजी सं0 1मि0 में से रकबा 0.2322 हे0 आरक्षित वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वननिवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में समस्त ग्राम समितियों एवम् उपखण्ड स्तरीय समितियों की बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव लम्बित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय जाता है कि जनपद मीरजापुर में 0.2322 हे0 वन भूमि को उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) द्वारा निर्मित की जा रही 132 के0वी0 उपकेन्द्र लालगंज को ऊर्जीकृत करने हेतु निर्माणाधीन 132 के0वी0 डबल सर्किट पारेषण लाइन (132 के0वी0 मीरजापुर–जिगना सर्किट द्वितीय का लीलो) के निर्माण हेतु हस्तानान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि हस्तानान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी मीरजापुर (नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर)	प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर (नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर) प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर - वन प्रभाग मीरजापुर	जिलाधिकारी मीरजापुर (नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर) जिलाधिकारी मीरजापुर
शकुन्तला जिला पंचायत सदस्य (नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर) सदस्य जिला पंचायत, मीरजापुर	आशा जिला पंचायत सदस्य (नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर) सदस्य जिला पंचायत मीरजापुर	वसीम अहमद जिला पंचायत सदस्य (नाम व मुहर सहित हस्ताक्षर) मीरजापुर

52

उप जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक.................................को वन अधिकार 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee) की बैठक आहूत की गयी है।

उक्त बैठक में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) द्वारा निर्मित की जा रही 132 के0वी0 उपकेन्द्र लालगंज को ऊर्जीकृत करने हेतु निर्माणाधीन 132 के0वी0 डबल सर्किट पारेषण लाइन (132 के0वी0 मीरजापुर–जिगना सर्किट द्वितीय का लीलो) के निर्माण हेतु हस्तानान्तरित की जाने वाली आरक्षित वन भूमि अराजी सं0 1 च पुरानी अराजी सं0 1मि0 में से रकबा 0.2322 हेक्टेयर वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम समिति राजापुर की बैठक में लिए गए निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वनभूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पम्परागत वन निवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पम्परागत निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि तहसील लालगंज के अन्तर्गत 0.2322 हेक्टेयर वन भूमि को उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) द्वारा निर्मित की जा रही 132 के0वी0 उपकेन्द्र लालगंज को ऊर्जीकृत करने हेतु निर्माणाधीन 132 के0वी0 डबल सर्किट पारेषण लाइन (132 के0वी0 मीरजापुर–जिगना सर्किट द्वितीय का लीलो) हेतु हस्तानान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (i), तारीख 1 जनवरी, 2008 में प्रकाशित नियम के नियम (3) में उपखण्डस्तरीय समिति का प्रावधान है, लेकिन राज्यस्तरीय/जिलास्तर पर कोई आदेश/GO उपलब्ध नहीं पाया गया।

सहायक विकास अधिकारी (स0क0)	उप प्रभागीय वनाधिकारी	उप जिलाधिकारी
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)	(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)	लालगंज, मीरजापुर
लालगंज मीरजापुर	उप प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर एवं चुनार।	उप जिलाधिकारी लालगंज मीरजापुर

07/12/13

सीमा यादव	मंजू	प्रमिला
क्षेत्र पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत सदस्य
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)	(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)	(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)
क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड सं0–14 क्षे0 पं0 लालगंज, मीरजापुर	क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड सं0–15 क्षे0 पं0 लालगंज, मीरजापुर	क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड सं0–16 क्षे0 पं0 लालगंज, मीरजापुर

(53)

कार्यालय
ग्राम सभा– राजापुर
तहसील–लालगंज, जिला–मीरजापुर।

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

जिला मीरजापुर उत्तर प्रदेश के लालगंज तहसील अन्तर्गत निर्मित 132 के0वी0 उपकेन्द्र लालगंज को ऊर्जीकृत करने हेतु निर्माणाधीन 132 के0वी0 डबल सर्किट पारेशण लाइन (132 के0वी0 मीरजापुर–जिगना सर्किट द्वितीय का लीलो) हेतु आरक्षित वनभूमि का उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा गैरवानिकी प्रयोग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा राजापुर ...... तहसील–लालगंज जनपद–मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम राजापुर द्वारा ग्राम सभा बैठक में ग्राम राजापुर की खसरा सं0 1च में 36 घ से 0.2322 है0 वन भूमि को उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0 2006) के तहत आवेदित वनभूमि आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0 2006) के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा आरक्षित वनभूमि को नवनिर्मित 132 के0वी0 उपकेन्द्र लालगंज को ऊर्जीकृत करने हेतु निर्माणाधीन 132 के0वी0 डबल सर्किट पारेषण लाइन (132 के0वी0 मीरजापुर–जिगना सर्किट द्वितीय का लीलो) के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

02/11/18

Village Development Officer
Gram Panchayat ....

Gram Pradhan
....

ग्राम सभा रानापुर

क्र0सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दिनेश सिंह (ग्राम प्रधान)	दिनेश सिंह
2	सिन्टू विश्वकर्मा (नागरिक)	Sintu Vishkarma
3	राम नरेश "	रामनरेश
4	मीरा देवी (सदस्य)	मीरा
5	श्याम लाल "	नि0अं0 श्यामलाल
6	राम निरंजन बिन्द "	राम निरंजन
7	मुन्ना लाल "	मुन्नालाल
8	सुदर्शन बिन्द "	सुदर्शनबिन्द
9	मनबोध "	मनबोध
10	राम अधार बिन्द "	राम अधार
11	राज कुमारी "	राज कुमारी
12	सरोज देवी "	सरोज देवी
13	राकेश जोशी (नागरिक)	राकेश कुमार
14	हिन्दु लाल बिन्द "	हिन्दु लाल
15	राम नन्दन सदस्य	नि0अं0 राम नन्दन
16		
17		

ग्राम विकास अधिकारी
वि0 खं0 लालगंज, मी0

दिनेश सिंह

कार्यालय ग्राम सभा– राजापुर तहसील– लालगंज, जिला– मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)

प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

ग्राम सभा बैठक–.................... दिनांक ....

क्र0सं0	उपस्थित सदस्यों के नाम	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गई कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित/ अपारित	हस्ताक्षर
	ग्राम सभा के कुल सदस्यगणों की संख्या 15 ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यगणों की सं0 ... एवं वरिष्ठ ग्रामवासी	प्रस्ताव क्रमांक–16 चर्चा का विषय– उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा नवनिर्मित 132 के0वी0 उपकेन्द्र लालगंज को ऊर्जीकृत करने हेतु निर्माणाधीन 132 के0वी0 डबल सर्किट पारेषण लाइन (132 के0वी0 मीरजापुर–जिगना सर्किट द्वितीय का लीलो) हेतु आरक्षित वनभूमि के सम्बन्ध मे फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0 2006) के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य आवसीय एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं।	उपस्थित सदस्यों को ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा की गई चर्चा उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि उक्त वन भूमि में अनुसूचित जनजाति, आदिवासी व गैर आदिवासी का उक्त वनभूमि में कृषि कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा नहीं है एवं फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए02006) के अन्तर्गत नवनिर्मित 132 के0वी0 डबल सर्किट पारेषण लाइन (132 के0वी0 मीरजापुर–जिगना सर्किट द्वितीय का लीलो) के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि उ0प्र0 पावर ट्रान्समि ान कारपोरेशन लि0 द्वारा गैरवानिकी प्रयोग किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित ।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित	दिनेशसिंह

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की बैठक में 50% से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित रहे।

03/1/18 दिनेशसिंह

(55)